श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी): मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: अब, श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत तथा श्री राजनाथ सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा में विचारार्थ है। मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि श्री कड़िया मुंडा, जो इस सभा के सदस्य हैं, को इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाए।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और श्री कड़िया मुंडा इस सभा के उपाध्यक्ष घोषित किए गए। मैं उनको आसन ग्रहण करने के लिए सहर्ष आमंत्रित करती हूं।

(माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, सदन के नेता श्री प्रणब मुखर्जी और विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी श्री कड़िया मुंडा को उनके आसन तक ले गए)

पूर्वाह्न 11.09 बजे

उपाध्यक्ष को बधाइयां

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके निर्वाचन के तत्काल बाद इस सम्माननीय सभा के उपाध्यक्ष के रूप में श्री कड़िया मुंडा जी का निर्वाचन हमारे देश के लिए एक शुभ संकेत है। आप दोनों हमारे देश के दो सर्वाधिक वंचित समुदायों से हैं। आप दोनों का सम्मान करके इस सभा ने सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के सशक्तीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी हैं।

महोदया, श्री कड़िया मुंडा के अनुभव अत्यन्त विशद है। मेरा मानना है कि इस सभा में सदस्य के रूप में ये उनका सातवां कार्यकाल है। वे अनेक स्थायी समितियों के सदस्य रहे हैं और केन्द्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व है और वह एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने महिला सशक्तीकरण में काफी रुचि ली है। वे एक लेखक भी हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर पर एक पुस्तक लिखी है- वह सन्तुलित विचारों वाले व्यक्ति हैं। मैं श्री कड़िया मुंडा को उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं।

हम उन्हें इस सभा को चलाने में पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन देते हैं।

जैसाकि मैंने कहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का सर्वसम्मति से निर्वाचन इस सभा को अच्छी तरह चलाने में सहायक होगा और मैं आशा करता हूं कि सभा की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने में पंद्रहवीं लोक सभा देश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हूं। मुझे श्री कड़िया मुंडा के कार्य कौशल की झलक एक सांसद, एक प्रशासक और एक समाज सुधारक के रूप में भी देखने को मिली है। मुझे विश्वास है कि इस पद पर चुने जाने से वे आपके भार को कम करने के साथ-साथ सभा की कार्यवाही ठीक प्रकार से चलाने में हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। मैं, अपने दल की ओर से और सभा के नेता के रूप में उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वाहन करने में मैं उन्हें पूर्ण सहयोग दूंगा।

महोदया, मैं विशेषरूप से प्रसन्न हूं कि हमने 1977 से इस सभा के उपाध्यक्ष के रूप में विपक्ष के सदस्य को चुने जाने की परम्परा का पालन किया है। इससे पूर्व, दोनों पद सत्ताधारी पार्टी को ही दिए जाते थे। लेकिन 1977 में जब पहली बार विपक्ष पार्टी को मान्यता दी गई तभी से यह स्वस्थ परम्परा विकसित हुई। निस्संदेह यही प्रथा हमारे कई राज्य विधानमंडलों में प्रचलित है लेकिन इससे पूर्व ऐसा नहीं होता था, और 1977 में हमने इसे जारी रखा है। यह अच्छी बात है।

मैं उन्हें इस नए पदभार को ग्रहण करने पर शुभ कामना देता हूं और एक बार फिर उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देता हूं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदया, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सदन के नेता ने जो भाव प्रकट किये हैं, उनके